

जिला कलेक्टर,

जिला कलेक्टर, (सहायता)
 अजमेर, बांसवाड़ा, बीकानेर, चित्तौड़गढ़,
 चूरू, डुंगरपुर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़,
 जालौर, जोधपुर एवं प्रतापगढ़ (राज०)

विषय:- अभाव संवत् 2071 में अभावग्रस्त जिलों में अभावग्रस्त क्षेत्रों में पशु शिविर संचालन के संबंध में दिशा-निर्देश।

महोदय,

राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क. एफ1 (1) (4) आ.प्र.सआ / सामान्य / 2014 / 12413-32 दिनांक 12.12.2014 से आपके जिले को अभावग्रस्त घोषित किया गया है। यह अवधि 31.07.2015 तक प्रभावी रहेगी। राज्य सरकार द्वारा राजस्थान एफेक्टेड एरियाज (सस्पेशन आफ प्रोसिडिंग्स) एक्ट, 1952 के अन्तर्गत अभावग्रस्त गांवों में चारे की कमी हो जाने के फलस्वरूप असहाय/ आवारा पशुओं के संरक्षण हेतु पशु शिविर संचालन करने हेतु जिलों को निम्न प्रावधानों के अन्तर्गत अधिकृत किया जाता है :-

1. अभावग्रस्त क्षेत्रों में पशु शिविरों का संचालन भारत सरकार के पत्रांक 32-3 / 2013-NDM-I दिनांक 28.11.2013 के द्वारा जारी संशोधित SDRF/NDRF मानदण्डों के प्रावधानों के अनुसार किया जायेगा। संशोधित मानदण्डों के अनुसार जिले की आवश्यकता अनुसार 30 दिवस की अवधि तक कैम्प का संचालन किया जायेगा। जिसे प्रथम बार में 60 दिवस तक तथा भीषण सूखा की स्थिति में 90 दिवस तक राज्य कार्यकारी समिति के आंकलन उपरान्त बढ़ाया जा सकता है। अतः जिला कलक्टर को 30 दिवस के लिए कैम्प संचालन की आवश्यकता अनुसार अधिकृत किया जाता है। कैम्प संचालित किये जाने के प्रस्ताव जिला कलक्टर द्वारा आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग को भिजवाया जाये। आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग द्वारा पशु शिविर संचालन की स्वीकृती दिये जाने के उपरान्त ही जिला कलक्टर द्वारा पशु शिविर संचालित किये जायें।
2. पशु शिविर का संचालन राजकीय संस्था, पंचायतीराज संस्था या स्वयं सेवी संस्था के माध्यम से करवाया जावे एवं साथ ही ऐसे शिविरों में बेसहारा तथा लावारिस पशुओं को संधारित किया जावे।
3. गत वर्षों में राज्य सरकार के ध्यान में आया है कि पशु पालकों के दुधारू पशुओं को भी पशु शिविर में दाखिल कर लिया जाता है तथा पशुपालक दिन में पशुओं को चराई की सुविधा हेतु शिविरों में छोड़ देते हैं एवं सुबह -शाम पशुओं को लेकर जाते हैं। अतः इस सन्दर्भ में निम्नानुसार निर्देश प्रदान किये जाते हैं:-
 (i) किसी भी शिविर में दुधारू पशु को नहीं रखा जाए।
 (ii) पशु शिविर उन्हीं संस्थाओं को स्वीकृत किये जाए जिनके पास पशुओं को रखे जाने की समुचित व्यवस्था यथा बाड़ा, छाया, पानी, इत्यादि की समुचित व्यवस्था हो।
 (iii) यदि पशुपालकों द्वारा अपने पशुओं को शिविरों में दाखिल किया जाता है तो पशु पालक को पशु का मालिकाना हक छोड़ना होगा।
 (iv) पशु शिविरों में रखे जाने वाले बड़े पशु को 50/- रुपये प्रति बड़े पशु प्रतिदिन तथा 25/-रुपये प्रति छोटे पशु प्रतिदिन की दर से चारा/पशु आहार देने हेतु अनुदान राशि उपलब्ध कराई जाएगी।
 (v) पशु शिविरों में संधारित किये जा रहे पशुओं को पशु शिविर संचालित करने वाली संस्था को 1 किलो पशु आहार बड़े पशु को तथा 1/2 किलो पशु-आहार छोटे पशु को

१२/१२/१४

प्रति पशु प्रतिदिन की दर से उपलब्ध कराया जाएगा। यदि निर्धारित मात्रा में पशुओं को पशु आहार उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो ऐसी स्थिति में 11/- रुपये बड़े पशु तथा 5.50/- रु. प्रति छोटे पशु प्रतिदिन की दर से अनुदान राशि में से काटी जाकर शेष अनुदान राशि का भुगतान संस्था को किया जाए।

(vi) पशु आहार राज्य सहकारी डेयरी फेडरेशन/राजफैड द्वारा निर्मित आहार उपलब्ध कराये जाने की स्थिति में ही अनुदान राशि देय होगी। अन्य किसी संस्था द्वारा निर्मित पशु आहार उपलब्ध कराये जाने की स्थिति में पशु आहार राशि की कटौति सुनिश्चित की जाए।

(vii) पशु शिविरों के माध्यम से संधारित किये जा रहे पशुओं का शिविर स्थल पर जाकर, तहसीलदार, उपखण्ड अधिकारी द्वारा समय-समय पर निरीक्षण किया जाए तथा निरीक्षण के दौरान पायी गई कमियों का उल्लेख शिविर संचालक द्वारा शिविर स्थल पर रखे जा रहे रजिस्टरों में आवश्यक इन्द्राज सुनिश्चित किया जाकर हस्ताक्षर किये जाए।

(viii) पशु शिविरों में रखे जाने वाले पशुओं के प्रमाणीकरण के संदर्भ में स्थानीय रूप से पटवारी/ग्राम सेवक/नजदीकी स्कूल के अध्यापक को शामिल करते हुए एक कमेटी का गठन कर कमेटी की अनुशंसा के आधार पर ही पशु शिविरों में पशुओं को रखा जाए। यह भी सुनिश्चित किया जाए कि एक पशु शिविर में अधिकतम पशु सीमा 200 से अधिक न हो तथा 15 दिवस की अवधि में कम से कम 100 पशु होने की स्थिति में ही शिविर संचालक को अनुदान राशि का भुगतान किया जाए।

4. ऐसे पशु शिविरों के बारे में जिला कलेक्टर के स्तर पर एक रजिस्टर संधारित किया जाए, जिसमें निम्न सूचना अंकित की जाएः-

(i) पशु शिविर चलाने वाली संस्था का नाम

(ii) पशु शिविर चलाने हेतु आवेदन पत्र का दिनांक

(iii) संस्थान का नाम जहाँ शिविर चलाया जाएगा।

(iv) पशुओं की संख्या जो शिविर में रखने हेतु प्रस्तावित हो

(v) शिविर के लिए पशु शाला हेतु उपलब्ध स्थान

(vi) शिविर पर पशुओं के लिए उपलब्ध सुविधायें

(vii) चारा कितनी मात्रा में प्रति पशु प्रति दिन दिया जाएगा तथा अन्य सुविधायें क्या दी जाएगी।

(viii) जिला कलेक्टर द्वारा आवेदन पत्र स्वीकृत करने का दिनांक

(ix) दिनांक जिससे पशु शिविर चालू किया गया

(x) संस्था की स्थायी संचालन समिति के सदस्यों के नाम

(xi) बैंक जिसमें संस्था अपना खाता रखती हो

(xii) संस्था के प्रबन्धक/अध्यक्ष एवं सचिव का नाम

(xiii) संस्था पंजीकृत है अथवा नहीं

(xiv) संस्था की सामान्य वित्तीय स्थिति पर टिप्पणी

5. पशु शिविर अनुदान, शिविर खोलने के दिनांक से अथवा जिला कलेक्टर द्वारा शिविर खोलने की अनुमति देने के दिनांक से, जो भी बाद में हो, दिया जाए।

6. पशु शिविर चलाने वाले स्वयं सेवी संस्था की स्थानीय संचालक समिति में जिला कलेक्टर द्वारा एक प्रतिनिधि मनोनीत किया जावे एवं यह निर्देशित किया जाए कि स्थानीय संचालन समिति की प्रत्येक बैठक की दिनांक की सूचना उस प्रतिनिधि को प्रदान की जावे ताकि बैठक में जिला कलेक्टर का प्रतिनिधि उपस्थित हो सके।

7. ऐसे समस्त शिविरों का लेखा जोखा सही एवं भली प्रकार से संधारित कराया जाए, जिसमें निम्न रजिस्टरों का संधारण कराया जाएः-

क. पशु चारा/पशु आहार खरीद एवं स्टाक रजिस्टर

ख. पशुओं के पंजीकरण का रजिस्टर

ग. चारा तथा पशु आहार दैनिक वितरण रजिस्टर

घ. दैनिक आमद व खर्च का रोकड़ बही

9
12/12/14

8. ऐसे शिविरों का तथा उनके लेखों का सहायता विभाग से अधिकृत किसी अधिकारी एवं जिला कलेक्टर अथवा उनके प्रतिनिधि या मनोनीत अधिकारी द्वारा किसी भी समय निरीक्षण किया जा सकेगा।
 9. जिला कलेक्टर अथवा उसके प्रतिनिधि द्वारा समय-समय पर प्रत्येक पशु शिविर का निरीक्षण किया जाकर यह सुनिश्चित किया जाए कि इन शिविरों में निर्धारित मापदण्ड से पशुओं का पोषण किया जा रहा है तथा संस्था द्वारा संधारित अभिलेखों में अंकित संख्या के अनुसार पशु, वास्तव में शिविर में रखे गये हैं। इस प्रकार किये गये निरीक्षण की एक प्रति निरीक्षण दिनांक से एक सप्ताह के भीतर सहायता विभाग एवं सम्बन्धित स्वयं सेवी संस्था को भेज दी जाए।
 10. यदि किसी संस्था द्वारा संचालित शिविर की व्यवस्था, जिला कलेक्टर द्वारा संतोषजनक नहीं पाई जाए तो ऐसे शिविर की व्यवस्था जिला कलेक्टर द्वारा अपने स्तर पर व्यवस्थित करने के लिए कार्यवाही की जाए।
 11. पशु शिविर चलाने वाली संस्था द्वारा जिला कलक्टर को प्रत्येक चरण का हिसाब प्रस्तुत किया जाये। जिला कलक्टर की स्वयं की स्वीकृति के उपरान्त देय अनुदान राशि का भुगतान बिल प्राप्त के 7 दिन में किया जाये। इस प्रकार किये गये भुगतान में राशि कम या अधिक पाई जाने पर उसका समायोजन अगले पखवाड़े के हिसाब में किया जाये। यदि हिसाब चरण के पश्चात किया जावे तो संस्था को देरी के कारण लिखित में अंकित करने होंगे।
 12. विभाग की स्वीकृति से पूर्व जिले में पशु शिविर स्वीकृत नहीं किये जावे। जिला कलक्टर द्वारा विभाग को भिजवाये गये प्रस्तावों की स्वीकृति यदि आगामी सात दिवसों में प्राप्त नहीं होती है तो जिला कलक्टर विभाग के शासन सचिव अथवा शासन संयुक्त सचिव से टेलीफोन पर वार्ता कर जानकारी लेकर प्रस्तावों को स्वीकृत करवाने की कार्यवाही करें।
- उपरोक्त निर्देशों के अतिरिक्त विस्तृत निर्देश आपदा प्रबन्धन एवं सहायता निर्देशिका के अनुच्छेद 7 में (बिन्दु संख्या 7.2.4 में आंशिक संशोधन अनुसार जारी नये दिशा निर्देशों के बिन्दु संख्या 3(viii)) व सूखा प्रबन्धन संहिता में दिये गये प्रावधानों के अनुसार पशु शिविरों का संचालन सुनिश्चित किया जाए।

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाहीं हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, सचिव, मुख्यमंत्री, राज0, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, मंत्री, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग, राज0., जयपुर।
3. उप सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राज0, जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, पशुपालन एवं डेयरी विकास विभाग, जयपुर।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग, राज.0, जयपुर।
6. निजी सचिव, सम्भागीय आयुक्त, अजमेर, बीकानेर, जोधपुर एवं उदयपुर।
7. वित्तीय सलाहकार, आ0प्र0 एवं सहायता विभाग, राज0, जयपुर।
8. समर्त अधिकारीगण, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग, राज0., जयपुर।
9. गार्ड फाईल।

भवदीय,
6
शासन सचिव
12/12/14

6
शासन सचिव
12/12/14